(491)

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।

—:: आदेश ::—

श्रीमती मालती जायसवाल, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नावानगर, बक्सर को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक—09.12.2009 को परिवादनी श्रीमती राजकुमारी, आँगनबाड़ी सेविका, जगनटोला, केन्द्र सं0—82, बक्सर से रू0 5000/—(पाँच हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड सं—121/2009 दिनांक—10.12.2009 दर्ज किया गया।

2. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा दिनांक—10.12.2009 को न्यायायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश संसूचित ज्ञापांक—328/क0 दिनांक—15.06.2010 के द्वारा गिरफ्तारी की तिथि दिनांक—09.12.2009 (अपराह्न) के प्रंभाव से अगले आदेश तक श्रीमती जायसवाल को निलम्बित किया गया।

3. श्रीमती जायसवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर इनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए पत्रांक—1087/स्था0 दिनांक—08.11.2012 द्वारा आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के आलोक में श्रीमती जायसवाल द्वारा दिनांक—22.11.2012 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

4. प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में श्रीमती जायसवाल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरान्त आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना के आदेश संसूचित ज्ञापांक—160/स्था0 दिनांक—30.01.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लेते हुए उप विकास आयुक्त, रोहतास को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. उप विकास आयुक्त —सह— संचालन पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक—99/वि0गो0 दिनांक—07.10.2014 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में आरोपी के विरूद्ध रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने से संबंधित सभी आरोपों (आरोप सं0—01, 02 एवं 03) को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। परन्तु संचालन पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में प्रक्रियात्मक त्रुटि होने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा असंतोष जाहिर करते हुए पत्रांक—2443/स्था0 दिनांक—18.12.2014 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलं) नियमावली, 2005 के नियम—18(1) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपों की पुनः जाँच कर आरोपवार (आरोप/आरोपी का बचाव बयान/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का मंतव्य/निष्कर्ष) सकारण (Reasoned) जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए संचालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

6. उप विकास आयुक्त—सह—संचालन पदाधिकारी, रोहतास ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलं) नियमावली, 2005 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार विधिवत जाँच कर पुनः पत्रांक—54/वि0गो0 दिनांक—25.04.2016 द्वारा जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी आरोपों (आरोप सं0—01, 02 एवं 03) को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

7. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलं) नियमावली, 2005 के नियम—18(3) के तहत् संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति श्रीमती जायसवाल को पत्रांक—629/स्था0 दिनांक—16.05.2016 से प्रेषित करते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी।

490

8. श्रीमती जायसवाल द्वारा दिनांक–01.06.2016 को द्वितीय कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा आरोपों के संबंध में स्पष्ट जवाब न देते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के अधिकारों एवं निगरानी द्वारा की गई ट्रैपिंग की कार्रवाई के सम्पूर्ण प्रक्रियाओं पर ही आपत्ति दर्ज की गई है।

ज्ञातव्य हो कि कल्याण विभाग के आदेश ज्ञापांक–398 दिनांक–08.01.1983 एवं ज्ञापांक–1229 दिनांक–14.02.1983 द्वारा महिला पर्यवेक्षिकाओं का संवर्ग प्रमंडलीय संवर्ग घोषित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त को नियुक्ति प्राधिकार की शक्ति सौंपी गई है एवं नियुक्ति प्राधिकार होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार की भी शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त में निहित है।

श्रीमती जायसवाल के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षा के क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पाया गया है कि उनके द्वारा उठायी गयी सभी आपत्तियाँ तथ्यहीन है एवं इनके द्वारा केवल संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित कर दिए आरोपों से ध्यान भटकाने की मंशा से अपने स्पष्टीकरण में तथ्यहीन बातों का उल्लेख किया गया है।

अतएव इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया तथा इसे अस्वीकृत करते हुए जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आधार पर दण्ड का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया।

9. कार्यालय आदेश सं0–160/स्था0 दिनांक–30.01.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों की समीक्षा एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण के सम्यक् समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(XI) के तहत श्रीमती मालती जायसवाल को बर्खास्तगी का दंड दिया जाना समुचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोंपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती मालती जायसवाल तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नावानगर, बक्सर सम्प्रति निलम्बित जिनका वर्तमान में मुख्यालय जिला प्रोग्राम कार्यालय, भोजपुर, आरा है को तात्कालिक प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(XI) के तहत् **सेवा से बर्खास्तगी (Dismissal)** का दंड दिया एवं संसूचित किया जाता है।

ह0/–

आयुक्त,
पटना प्रमंडल, पटना।

ज्ञापांकः–स्था०/क0(X)–01/2010 958 **/स्था०,पटना, दिनांक–** 28/07/**,2016**

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संयुंक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, आई०सी०डी०एस०, बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास/जिलाधिकारी, भोजपुर/बक्सर/ कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/बक्सर/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भोजपुर/बक्सर/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नावानगर, बक्सर/श्रीमती मालती जायसवाल, तत्कालीन महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नावानगर, बक्सर सम्प्रति–निलम्बित मुख्यालय जिला प्रोग्राम कार्यालय, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त,
पटना प्रमंडल, पटना।